	(न) ''अनुसूची'' से इस विनियम की अनुसूची अभिप्रेत है; (प) ''धारा'' से विनियम की धारा अभिप्रेत है; (फ) ''कर'' से इस विनियम के तहत उद्धग्रहण योग्य कर, उपकर, दर अथवा अन्य आयात अभिप्रेत है; (ब) ''संघ राज्य क्षेत्र'' से अंडमान् तथा निकोबार द्वीपसमूह का संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है; (भ) ''ग्राम'' से इस विनियम के प्रयोजन हेतु प्रशासक द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट जिला के गाँव अभिप्रेत है जिसमें इस प्रकार से विनिर्दिष्ट गाँवों का समूह भी शामिल है; (म) ''ग्राम परिषद'' से धारा 11 के तहत गठित ग्राम परिषद अभिप्रेत है;	
	अध्याय – II **ग्राम साधारण निकाय**	
	3. प्रशासक अधिसूचना के माध्यम से सरकारी राजपत्र में धारा 2 की उप धारा (V) के तहत प्रत्येक गाँव अथवा गाँवों के समूहों के लिए ग्राम साधारण निकाय गठित करेगा ।	ग्राम साधारण निकाय का गठन
	4. (1) ग्राम साधारण निकाय में ग्राम परिषद के क्षेत्र के भीतर आने वाले गाँव अथवा गाँवों के समूह से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत निकोबारी जनजातीय शामिल होते हैं; बशर्ते कि निकोबारी जनजाति साधारण निकाय के सदस्य होने के लिए निम्न अयोग्यता न रखते हों – (क) भारत का नागरिक न हों; (ख) आयु अठारह वर्ष से कम हों; (ग) मानसिक रूप से स्वस्थ न हों और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो; और (घ) सामान्यतः गाँव जिसके लिए ग्राम साधारण निकाय गठित किया गया है उसके दायरे के भीतर निवास न करता हो । (2) एक व्यक्ति को साधारणतः उस ग्राम का वासी समझा जाए साधारणतः जहाँ वह रह रहा हो अथवा वहाँ एक आवास गृह उसके आधिपत्य में आवास योग्य पूरी तरह तैयार है ।	ग्राम साधारण निकाय का गठन